राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

क्रमांक : प.4(72)वित्त/राजस्व/94–लूज जयपुर, दिनांक : 10 APR 2017

आदेश

राज्य सरकार द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 30.3.1995 के द्वारा समस्त कर्मचारियों पर 1 मई, 1995 से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना को लागू किया गया है। उक्त योजना का प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाता रहा है। इसी क्रम में वर्ष 2017–18 के लिए उक्त योजना का नवीनीकरण 1 मई, 2017 से किया जाकर इस संबंध में निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. राजस्थान केडर के समस्त अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों एवं राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के माह अप्रेल देय मई, 2017 के वेतन से प्रति कर्मचारी 220/– रूपये प्रीमियम एवं सेवाकर की कटौती की जायेगी।
2. वर्ष 2017–18 की पॉलिसी का बीमाधन 3 लाख रूपये प्रति कर्मचारी होगा।
3. वर्ष 2017–18 की पॉलिसी की अवधि 1.5.2017 से 30.4.2018 तक होगी।
4. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उनके अधीन समस्त कर्मचारियों के वेतन से नवीनीकृत योजना के अन्तर्गत पे–मैनेजर पोर्टल/ई–ग्रास पोर्टल के माध्यम से कटौती कर कटौती पत्र वेतन बिलों के साथ संलग्न कर कोष कार्यालय को प्रस्तुत करेगें। डीडीओ द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से एसआईपीएफ पोर्टल में प्रस्ताव पत्र पूर्ति कराया जाना आवश्यक है।
5. दिनांक 1.5.2017 के पश्चात् नवनियुक्त कर्मचारियों पर भी उक्त योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी तथा उनके प्रथम वेतन से वर्ष 2017–18 के लिए देय प्रीमियम की राशि रूपये 220 + निर्धारित सेवाकर आई.आर.डी.ए. के नियमानुसार प्रोरेटा के आधार पर काटी जायेगी।
6. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि किसी भी राज्य कर्मचारी/अधिकारी के माह अप्रेल, 2017 के वेतन बिल को तैयार करते समय इस नवीनीकृत योजना से संबंधित आवश्यक प्रीमियम की कटौती कर ली गई है। जिन कर्मचारियों का माह अप्रेल, 2017 का वेतन किसी भी कारण से आहरित नहीं किया जा रहा है, वे निजी स्तर से रूपये 220/– एवं सेवाकर एसआईपीएफ/ई–ग्रास पोर्टल के माध्यम से दिनांक 31.5.2017 से पूर्व विभाग में जमा करायें। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे।
7. पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी/कर्मचारियों, जिनके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, उन पर यह योजना लागू नहीं होगी। यह योजना वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या प.12(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13.3.2006 के अन्तर्गत नियुक्त प्रोबेशनर–ट्रेनिज पर भी अनिवार्य रूप से लागू होगी।

10/4/17

.... 2 ..

इस संबंध में निदेशक राज्य बीमा एंव प्रावधायी निधि विभाग समस्त आहरण एंव वितरण अधिकारियो को अपने स्तर से एक परिपत्र पृथक से जारी कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

10/5/17

(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव,

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान–सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान–सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
5. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष।
7. समस्त जिला कलेक्टर।
8. समस्त जिला एंव सत्र न्यायाधीश।
9. समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
10. समस्त आहरण एंव वितरण अधिकारी।
11. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर अनुभाग) विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, 10/5/17